



No. WII/RTI/CPIO/2023-24/QTR-2/68



भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

Date: 13.10.2023

सेवा में,

श्री बलबीर सिंह चौहान
मकान नंबर 1, लेन नंबर-1,
महिमा एन्क्लेव, केहरी गांव,
पोस्ट ऑफिस- चंदन वाडी,
प्रेम नगर, देहरादून- 248007
उत्तराखंड

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के संबंध में/

संदर्भ : आपका आरटीआई नंबर :NIL दिनांक 15.09.2023

महोदय,

कृपया आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत ऊपर दिए गए अपने आवेदन को देखें। आपके द्वारा मांगी गई जानकारी संस्थान के संबंधित प्राधिकरण से एकत्र की गई है/ आपके प्रश्नों का बिंदुवार उत्तर अनुलग्नक-1 व 2 में दिया गया है/ आपको इस पत्र के साथ अनुलग्नक 1 व 2 प्रेषित किये जा रहे हैं/

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं।

रजिस्ट्रार,
एफएए और रजिस्ट्रार
पता: भारतीय वन्यजीव संस्थान, चंद्रबनी, देहरादून
फोन नंबर: 01352646202

आपकी विश्वासी

बलजीत कौर

[बलजीत कौर]

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

पत्रपेटी सं0 18, चन्द्रबनी, देहरादून – 248 001, उत्तराखण्ड, भारत
Post Box No. 18, Chandrabani, Dehradun - 248 001, Uttarakhand, INDIA
ई.पी.ए.बी.एक्स. : +91-135-2640114, 2640115, 2646100 फ़ैक्स : 0135-2640117
EPABX : +91-135-2640114, 2640115, 2646100 Fax: 0135-2640117
ई-मेल / E-mail : wii@wii.gov.in वेब / Website: www.wii.gov.in

**भारतीय वन्यजीव संस्थान
चन्द्रबनी, देहरादून**

सं: ए/11-15/2005-भा0व0स0 (भाग-5)

दिनांक: 09.10.2023

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करना।

संदर्भ: श्री बलबीर सिंह चौहान के दिनांक 15.09.2023 के पत्राक के संदर्भ में।

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अनुसार, सूचना का अर्थ किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री शामिल हैं।

आर.टी.आई आवेदक का पैरावार जवाब

- पैरा 1— ये आदेश संस्थान द्वारा जारी नहीं किये गये हैं।
- पैरा 2— प्रश्नसूचक होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती।
- पैरा 3— पैरा 1 के अनुसार।
- पैरा 4— आ.टी.आई आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना एकल शीट में न होने के कारण विभिन्न फाइलों को प्रशासन अनुभाग आकर देख सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्रशासन अनुभाग से अनुकूल समय तय कर सकते हैं।
- पैरा 5— माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर देख लें।
- पैरा 6— संस्थान में प्रशासनिक अधिकारी का पद नहीं है।
- पैरा 7— आर.टी.आई आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना एकल शीट में ना होने के कारण विभिन्न फाइलों को प्रशासन अनुभाग आकर देख सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्रशासन अनुभाग से अनुकूल समय तय कर सकते हैं।
- पैरा 8— प्रशासनिक वर्ग के भर्ती नियम सलग्न हैं। (Annexure-2)
- पैरा 9— प्रश्नसूचक होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती।
- पैरा 10— प्रश्न स्पष्ट नहीं हैं।

पैरा 11— आर.टी.आई आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना एकल शीट में ना होने के कारण विभिन्न फाइलों को प्रशासन अनुभाग आकर देख सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्रशासन अनुभाग से अनुकूल समय तय कर सकते हैं।

पैरा 12— पैरा 8 के अनुसार।

पैरा 13— आर.टी.आई आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना एकल शीट में ना होने के कारण विभिन्न फाइलों को प्रशासन अनुभाग आकर देख सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्रशासन अनुभाग से अनुकूल समय तय कर सकते हैं।

पैरा 14— प्रश्नसूचक होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती।

पैरा 15 से 18— प्रश्न स्पष्ट नहीं हैं।

पैरा 19— आर.टी.आई आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना एकल शीट में ना होने के कारण विभिन्न फाइलों को प्रशासन अनुभाग आकर देख सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्रशासन अनुभाग से अनुकूल समय तय कर सकते हैं।

पैरा 20 से 23— प्रश्न स्पष्ट नहीं हैं।

पैरा 24— प्रश्नसूचक होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती।

पैरा 25— प्रश्नसूचक होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती।

पैरा 26— आर.टी.आई आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना एकल शीट में ना होने के कारण विभिन्न फाइलों को प्रशासन अनुभाग आकर देख सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्रशासन अनुभाग से अनुकूल समय तय कर सकते हैं।

पैरा 27— इस सम्बन्ध में वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई।

पैरा 28 और 29— प्रश्नसूचक होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती।

दिनांक 9.10.2023 को
उप कुलसचिव को
द्वारा अनुमोदित।

अनुमोदित

उप कुलसचिव

रजनी
9/10/23
रजनी

CPio

10.10.2023